<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 131 / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक:-05 / 11 / 16</u> <u>फाईलिंग नं. 400423 / 2016</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- गगन पिता कमल कसार, उम्र 19 वर्ष निवासी सोमवारी चौक आमला जिला बैतूल
- 2. देवीसिंह पिता फाटू चौहान, उम्र 28 वर्ष निवासी संतोषी माता मंदिर आमला जिला बैतूल

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 25.05.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 327 अथवा 327/34 भा0दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26.09.2016 को समय शाम 04:00 बजे थाना आमला से 4 किमी. पूर्व में स्थित कुड़मुढ़ नदी के उपर जम्बाड़ा आमला मेन रोड आमला में फरियादी रमेश से अवैध पैसे उद्य पित करने का आशय बनाया और उक्त आशय के अग्रशरण में फरियादी से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। अभियुक्त भानू पर मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अंतर्गत इस आशय का भी आरोप है कि उसने उक्त घटना, दिनांक समय व स्थान पर वाहन क. एमपी—04—एमपी—8076 को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि एक अन्य अभियुक्त राजेश के संबंध में दिनांक 16.11.2017 को पृथक से निर्णय घोषित किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्तगण गगन, देवीसिंह एवं भानू के संबंध में घोषित किया जा रहा है।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनॉक 26.09.2016 को फरियादी रमेश शासकीय अस्पताल आमला से पैसेंट लेकर लालावाडी जा रहा

था। जैसे ही वह कुड़मुढ़ नदी जम्बाड़ा आमला रोड के उपर पहुंचा तो एक मोटर सायिकल लाल रंग की पल्सर में तीन लोग भानू ठाकुर, गगन कसार एवं एक अन्य व्यक्ति आये और तीनों ने उसे रोककर बोले की एक्सीडेंट वाला एक लाख पैसा दो जिस पर उसने मना किया तो भानू ने एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा और अपने मालिक को फोन करके पैसा बुलवाने का कहा। भानू व एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एम्बुलेंस में अंदर बैठकर रोक रखा था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 509/16 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त भानू से मोटर सायिकल क. एमपी—04—एमपी—8076 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 4 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 342, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे धारा 327 अथवा 327/34 भा.दं.सं. एवं अभियुक्त भानू पर लगे धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 5 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रमेश से अवैध पैसे उद्यापित करने का आशय बनाया और उक्त आशय के अग्रशरण में फरियादी से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्त भानू ने घटना के समय वाहन क. एमपी—04—एमपी—8076 को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया ?
- 3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

- रमेश (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि लगभग दो साल पहले की बात है वह जननी एम्बुलेंस से मरीज को लालावाड़ी छोड़कर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में रोड के किनारे गाडी खडी करके बात कर रहा था तभी अभियुक्तगण वहां से गुजरे और उसे देखकर रूक गये और पुरानी बातों को लेकर उन लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाना आमला में की थी एवं पुलिस ने घटना स्थल पर आकर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन ने किये जाने से साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि आरोपीगण ने उसका रासता रोका था और उसे उसकी एम्बुलेंस गाड़ी के अंदर परिरूद्ध कर दिया था और उससे एक लाख रूपये की मांग की थी। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि जब उसने पैसे देने से मना किया तो अभियुक्त भानू ने उसे एक थप्पड़ मारा था। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव अधिवक्ता के इस सुझाव को सही बताया है कि उसके खिलाफ एक्सीडेंट का केस दर्ज है और एक्सीडेंट केस को लेकर गाली गलौच हुई थी जिसकी शिकायत उसने की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी सही होना बताया है कि अभियुक्तगण ने उससे जबरदस्ती पैसे नहीं मांगे थे और उसने झगड़ा, गाली गलौच व धमकी की शिकायत की थी।
- 8 साक्षी रमेश (अ.सा.—1) ने अपने कथनों में अभियुक्तगण के द्वारा उससे अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। इसके अतिरिक्त साक्षी ने अभियुक्त भानू द्वारा घटना के समय मोटर सायिकल क. एमपी—04—एमपी—8076 के संचालन के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी से अवैध पैसों की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित किये जाने एवं अभियुक्त भानू के द्वारा घटना के समय वाहन क. एमपी—04—एमपी—8076 का चालन किये जाने के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है।
- 9 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण गगन, देवीसिंह एवं भानू ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रमेश से अवैध पैसे उद्यापित करने का आशय बनाया और उक्त आशय के अग्रशरण में फरियादी से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ

मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा अभियुक्त भानू ने घटना के समय वाहन क. एमपी—04—एमपी—8076 को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया। फलतः अभियुक्तगण गगन, देवीसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 327 अथवा 327/37 तथा अभियुक्त भानू को भारतीय दंड संहिता की धारा 327 अथवा 327/34 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/96 के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 10 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।
- 11 प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायिकल क. एमपी—04—एमपी—8076 अजय पिता टीकाराम प्रजापित निवासी वार्ड नं. 8 आमला थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी है। अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।
- 12 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)